संख्या-02/2024/1733973/47-का-2-2024

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2024

विषय:-सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता के निर्धारण किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021 दिनांक 07.10.2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता गणित या गणितीय सांख्यिकी या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के समकक्ष अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के चयन हेतु उ0प्र0 सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग-4 अर्हतायें के प्रस्तर-11 में वर्णित शैक्षिक योग्यता निम्नानुसार है:-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

3- उक्त के क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 1475/31/ई-1/2023-2024 दिनांक 12-01-2024 एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या 270/गोपन/1/7/2022/2024 दिनांक 06-03-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) के पद की शैक्षिक अर्हता गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम
1	MBA,
2	MBA (dual specialization in Production & Finance management),
3	MBA Finance and Accounting,
4	MBA Financial Management,
5	MBA (Financed Control)
6	MBA(HR)
7	Master of Management Sciences

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	Master of Total Quality Management,
9	Master of Business Economics,
10	Master of Financial Management,
11	Master of Science and technology in Mathematics,
12	Master of Business Economics (MBE),
13	MFC(Master of Finance Control)
14	M.Com
15	M.Com. (Applied Business Economics),
16	M.Com. (Business Management),
17	M.Com. Applied Economics
18	M.Com. (Accountancy and Business Statistics
19	M.SC. Applied Mathematics,
20	M.SC. Industrial Mathematics and Informatics,
21	M.SC. (Tech) (Industrial) Mathematics with Computer Application),
22	M.SC Mathematics and Computer Education,
23	M.Sc. Mathematics with Computer Science,
24	M.SC. Mathematics and Computing,
25	M.SC. Mathematics and scientific computing
26	M.SC. Mathematics and Statistics
27	M.SC. Math and Statistics,
28	M.SC. (Mathematical Science Statistics),
29	M.SC. Math
30	M.SC. Industrial Mathematics and Informatics
31	M.SC. Agricultural Statistic
32	M.SC. Statistics and Computing Application,
33	M.SC. Statistics with computer Programming
34	M.SC. Bio Statistics
35	M.SC. Operational Research,
36	M.SC. Applied Statistics and Information,
37	M.SC.(Statistics)
38	M.SC. Applied Statistics,
39	M.SC. Health Statistics

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40	Integrated M.SC. Statistics
41	P.G. (mathematical statistics)
42	M.A. Economies and Rural Development,
43	M.A. (regional and applied economics)
44	M.A. Entire Economics,
45	M.A. Math
46	M.A. Applied Economics,
47	M.A. Economics
48	M.A.(Statistics)
49	M.A. (Bio-Statistics)
50	M.Tech. Mathematicians and Computing,
51	M.SC Mathematics and Computer Applications (Mathematics with Computer Application)

4- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर उपाधि की समकक्षता के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले पदों एवं ऐसे पदों पर लागू होगा, जिन पदों पर विज्ञापन हो चुका है किन्तु आवेदन करने की तिथि शेष है, किन्तु यह उन पदों पर लागू नहीं होगा, जिन पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है या जिन पदों पर विज्ञापन के पश्चात् आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2024/1733973(1)/47-का-2-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप कुमार रस्तोगी

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।